न्यायालयः– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, **–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज।** **उपस्थितः– सुरेश कुमार सिंह – II** **निर्णय की तिथिः– 04.06.2026** **विशेष वाद (एस.सी./एस.टी.) संख्या– 72/2019** **C.I.S No.- 44/2019** **परिवाद वाद संख्या– 30सी/2019**
सूचिका – बिजली देवी, पति – स्व0 सर्फ लाल हरिजन, निवासी– झिंगाकाटा, थाना– बहादुरगंज, जिला– किशनगंज.....अभियोजन। द्वारा प्रस्तुति– श्री आदु लाल (विद्वान विशेष लोक अभियोजक)

अभियुक्तगणः–	1. मोजीब आलम उर्फ मोजीबुर रहमान, 2. जुबेर आलम, 3. रागीब आलम उर्फ दिलनवाज रागीब, 4. साहेदा बेगम, 5. नसीम अख्तर, 6. आवेदा बेगम उर्फ आवेदा खातुन एवं 7. तामुश आलम उर्फ तहमुस आलम।
द्वारा प्रस्तुति–	विद्वान अधिवक्ताः– श्री संजय कुमार मोदी।

अपराध की तारीखः–	08.07.2019
परिवाद पत्र दाखिल करने की तिथिः–	11.07.2019
संज्ञान की तिथिः–	09.12.2019
आरोप गठन की तिथिः–	10.09.2024
धारा–313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः–	04.06.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः–	04.06.2026
निर्णय की तिथिः–	04.06.2026
दण्डादेश की तिथिः–	

Accused Details:-

Rank of the Accused	
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	1. मोजीब आलम उर्फ मोजीबुर रहमान, पिता– स्व0 कलीमुद्दीन, 2. जूबेर आलम, पिता– स्व0 रकीमउद्दीन, 3. रागीब आलम उर्फ दिलनवाज रागीव, पिता– मो0 जुनेद आलम, 4. साहेदा बेगम, पति– मोजीबुर रहमान, चारो साकिन– डोहर काजीबस्ती, थाना– बहादुरगंज, जिला– किशनगंज एवं 5. नसीम अख्तर, पिता– स्व0 अलीमुद्दीन, 6. आवेदा बेगम उर्फ आवेदा खातुन, पति– नसीम अख्तर, दोनो साकिन–

	बीरपूर बालूबाड़ी, थाना– बहादुरगंज, जिला– किशनगंज एवं 7. तामुश आलम उर्फ तहमुस आलम, पिता– स्व0 बेहबुद आलम, साकिन लौचा, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	19.07.2024
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	19.07.2024
चार्जः–	U/S- 147, 341/149, 380/149, 427/149, 504/149, 506/149 of IPC & 3(i)(r), 3(2)(s) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Attached:-

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
01.	बिजली देवी	सूचिका साक्षी
02.	विरण लाल हरिजन	अन्य साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण 1. मोजीब आलम उर्फ मोजीबुर रहमान, 2. जुबेर आलम, 3. रागीब आलम उर्फ दिलनवाज रागीब, 4. साहेदा बेगम, 5. नसीम अख्तर, 6. आवेदा बेगम उर्फ आवेदा खातुन एवं 7. तामुश आलम उर्फ तहमुस आलम के विरूद्ध धारा 147, 341/149, 380/149, 427/149, 504/149, 506/149 of IPC & 3(i)(r), 3(2)(s) of SC/ST Act. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है तथा विचारण का सामना कर रहे है।

2. सूचिका द्वारा दाखिल परिवाद पत्र में अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि सूचिका बिहार सरकार की जमीन पर बसोबासी घर और जलावन घर वगैरह बना कर 20–25 वर्षो से रह रही थी जो रोड़ के किनारे है। दिनांक 08.07.2019 को 9–10 बजे दिन मे सूचिका ने अभियुक्तगण को रोका तो अभियुक्तगण बुरी लफज मे गाली देते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया तथा इनके बेटे को भी मारा। उसके बाद सूचिका के मुँह मे थूक दिया। चिल्लाने पर इनके पड़ोसी नसीम एवं नसीमाा खातून आये और इनको बताये। अभियुक्तगण इनका जेबर एवं रूपया भी छिन लिया।

3. परिवादनी के शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण 1. मोजीब आलम उर्फ मोजीबुर रहमान, 2. जुबेर आलम, 3. रागीब आलम उर्फ दिलनवाज रागीब, 4. साहेदा बेगम, 5. नसीम अख्तर, 6. आवेदा बेगम उर्फ आवेदा खातुन एवं 7. तामुश आलम उर्फ तहमुस आलम के विरूद्ध धारा 147, 341/149, 380/149, 427/149, 504/149, 506/149 of IPC & 3(i)(r), 3(2)(s) of SC/ST Act. के अन्तर्गत विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् दिनांक 10.09.2024 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. मोजीब आलम उर्फ मोजीबुर रहमान, 2. जुबेर आलम, 3. रागीब आलम उर्फ दिलनवाज रागीब, 4. साहेदा बेगम, 5. नसीम अख्तर, 6. आवेदा बेगम उर्फ आवेदा खातुन एवं 7. तामुश आलम उर्फ तहमुस आलम के विरूद्ध धारा 147, 341/149, 380/149, 427/149, 504/149, 506/149 of IPC & 3(i)(r), 3(2)(s) of SC/ST Act. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी मे पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे वे इंकार किये एवं वाद विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 02 साक्षी को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 बिजली देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या 02 विरण लाल हरिजन है।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया गया है।

7. न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2026 को अभियुक्तों का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने को निर्दोष बताये।

8. वचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 02 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले के सूचिका के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 बिजली देवी (सूचक) है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि यह केस इन्होंने नसीम, जुबेर, अबेदा, जुबेदा वगैरह के विरूद्ध किया है। बिहार सरकार के जमीन पर अभियुक्तगण घर उठा रहे थे तो सूचिका एवं इनके परिवार के लोग मना करने गये थे इसी बात को लेकर विवाद हुआ था तो केस कर दिये। दोनो पक्षो के बीच मेल मिलाप हो गया है। उक्त जमीन सूचिका को मिल गया है। प्रतिपरीक्षण मे इन्होने कहा है कि इन दोनो के बीच सिर्फ बाताबाती हुआ था। दोनो पक्ष अभी शांति से मिलजुल कर रह रहे है। इस साक्षी के साक्ष्य के काफी विरोधाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 02 विरण लाल हरिजन है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इनकी मॉ ने यह केस नसीम, जुबेर, अबेदा वगैरह के विरूद्ध किया है। अभियुक्तो से सिर्फ बाताबाती हुआ था उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि दोनो पक्षो के बीच सिर्फ बाताबाती हुआ था। इस मुकदमा मे शांतिपूर्ण तरीके से सुलह हो गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में किसी भी साक्षी ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हे दोषमुक्त किया जाए।

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 01 बिजली देवी (सूचका) है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि जमीन कब्जा को लेकर दोनो पक्षो के बीच विवाद हुआ था। दोनो पक्षो के बीच शांति से सुलह हो गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 विरण लाल हरिजन है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि दोनो पक्षो के बीच थोड़ा बहुत बाताबाती हुआ था। दोनो पक्षो के बीच मे मेल मिलाप हो गया है। जिस मामले मे सूचिका ही अपने बयान से मुकर जाता है तब इस केस मे अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण 1. मोजीब आलम उर्फ मोजीबुर रहमान, 2. जुबेर आलम, 3. रागीब आलम उर्फ दिलनवाज रागीब, 4. साहेदा बेगम, 5. नसीम अख्तर, 6. आवेदा बेगम उर्फ आवेदा खातुन एवं 7. तामुश आलम उर्फ तहमुस आलम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 147, 341/149, 380/149, 427/149, 504/149, 506/149 of IPC & 3(i)(r), 3(2)(s) of SC/ST Act. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

अभियुक्तगण 1. मोजीब आलम उर्फ मोजीबुर रहमान, 2. जुबेर आलम, 3. रागीब आलम उर्फ दिलनवाज रागीब, 4. साहेदा बेगम, 5. नसीम अख्तर, 6. आवेदा बेगम उर्फ आवेदा खातुन एवं 7. तामुश आलम उर्फ तहमुस आलम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 147, 341/149, 380/149, 427/149, 504/149, 506/149 of IPC & 3(i)(r), 3(2)(s) of SC/ST Act. से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, इनके प्रतिभुओ को उनके बंध–पत्र के दायित्वो से उन्नमोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज

दिनांकः– 04.06.2026

ह0/–

सुरेश कुमार सिंह– II)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,

–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज

दिनांकः– 04.06.2026

Date of Judgement/Order	04-06-2026
Date of Reserving Judgement/Order	04-06-2026
Uploading Date	16-06-2026
Uploaded by	Deposition Writer